सरल कानूनी ज्ञान माला – 17

बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्तव्य

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्तव्य

1— आज के बालक कल के नागरिक :—

भारत की जनसंख्या का एक तिहाई भाग बालकों का है। वह भावी नागरिक हैं और उनकी सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति में ही भारत की समृद्वि निहित है। बालकों के जीवन की नींव बाल्यकाल में पड़ती है। चूंकि बालक एक कच्चे घड़े के समान होता है और छः वर्ष की आयु आते—आते उसकी ज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं अतिदर्शी जड़ें मजबूत हो जाती है इसलिए बच्चों के प्रथम छः वर्ष उसके लिए नाजुक एवं महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि समद्विशील देशों में बच्चों के बाल्यकाल में सभी सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है ताकि निर्धनता के कारण कोई बालक अपने बाल्यकाल में कोई कमी न अनुभव करें। जबकि भारत वर्ष में अब इसकी ओर ध्यान दिया जाना प्रारम्भ हुआ है और समस्त भार बच्चों के माता—पिता को ही उठना पड़ता है। यदि बालकों को प्यार और दुलार से वंचित रखा जाता है तो वह अच्छे नागरिक के गुण प्राप्त नहीं कर सकता यदि बालकों की उन्नति और विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आप समाज के मूल्यों और मौलिकता के निर्माण के लिए बालकों के सहयोग की आशा कैसे कर सकते है। इसलिए यदि आप अच्छे मूल्यों एवं मौलिकता पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते है तो बालकों के प्रति अन्याय को जड़ से समाप्त करना होगा।

2— ग्राम पंचायतों की बालकों के उत्थान में भूमिका :—

भारत गांवों में बसता है। इसलिए गांव की उन्नति में ही देश की उन्नति निर्भर करती है। यह सर्व विदित है कि नये पंचायत राज अधिनियम ने ग्राम पंचायत को पर्याप्त शक्तियां दी है। जिसमें ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 1/2 भाग महिलाओं का होना अनिवार्य है। पंचायत के माध्यम से स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाता है। प्रत्येक गांव पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालकों एवं उनकी माताओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक निर्धारित दिन गांव के अन्तर्गत कार्यकर्ता आता हो, क्या गांव के शिशुओं को इम्यूनाहाईजेशन संबंधी टीका समय—समय पर लगाये जाते हैं, क्या गांव वालों को परिवार योजना के अन्तर्गत गर्भ निरोधक गोलियां इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है एच—आई—वी या एड्स का क्या मतलब है और इसके क्या गम्भीर परिणाम हो सकते हैं, इसका ज्ञान कराना भी परम आवश्यक है।

ग्राम पंचायत के लिए यह भी आवश्यक है कि सब सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर स्वास्थ्य कमेटी का गठन करें, जो ब्लाक स्तर के डाक्टरों से सम्पर्क करके अपने गांवों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये व्यवस्था कर सकें और जो वहां ऐ. एन. एम. आती हैं, उससे मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी कर सकें। इस प्रकार ग्राम पंचायत को यह देखना चाहिए कि सरकारी फायदे का लाभ गांव तक पहुंचे।

(क) स्वास्थ्यकार्यकर्ता की सेवाओं का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना :—

प्रत्येक गांव मे कम से कम महीने में एक स्वास्थ्यकर्ता का आना सुनिश्चित किया जाय जो शिशुओं की इम्यूनाईजेशन के टीके ही न लगायें अपितु निमूनियां या डायरिया जैसी बीमारी से निपटने के दवा के पाकेट उपलब्ध कराने के साथ—साथ ओरल हाइडरेशन नमक भी उपलब्ध करायें। चूंकि बच्चों की मौत का सबसे अधिक घातक कारण यही दोनों बीमारियां होती हैं, इसके अतिरिक्त विटामिन ए एवं आइरन की गोलियां गर्भवती माताओं को उपलब्ध कराने का दायित्व इसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर है। ग्राम पंचायत को चाहिए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता से दवा एक दिन निर्धारित कर लें ताकि गांव की सभी जरूरतमन्द औरतें एवं शिशु उसका वास्तविक लाभ उठा सकें। यदि यह कार्य गांव में एक स्वास्थ्य कमेटी का गठन करके उसके सुपुर्द कर दिया जाये तो यह अधिक प्रभावी सिद्व होगा।

(ख) गांव में शिशुओं की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी की सेवाओं का प्रयोग करना :—

हमारे देश में तीन लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यरत है। आंगनबाड़ी गांव और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के बीच एक कड़ी का काम करती है। वास्तव में आंगनबाड़ी संगठित बाल विकास योजना प्रोजेक्ट का केन्द्र बिन्दु है। इसका कार्य स्वास्थ्य का चैकअप, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करना, यदि बीमारी बड़ी है तो उसको स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में भेजना है। इसके अतिरिक्त आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी सम्बन्धित सुविधाओं का लाभ पंहुचाने में सहायता करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को लेडी हेल्थ विजिटर इत्यादि

द्वारा परीक्षण करवाना इत्यादि। आंगनबाड़ी का यह भी कार्य है कि वह अपने क्षेत्र में सर्वे करके देखे कि छः वर्ष से कम के सबसे गरीब और असमर्थ बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं है, उन सबको भोजन आंगनबाड़ी की ओर से उपलब्ध कराया जा सकें। इसके साथ–साथ जो भोजन इन बच्चों और माताओं को उपलब्ध कराया जाये उसमें 1200 केलरीज तक यह पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें विटामिन ''ए'' व आयरन और आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।

आंगनबाड़ी गांव में या शहर के क्षेत्र में स्थित होती है। प्रत्येक आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और उसका एक सदस्य होता है, जहां मैदानी क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या में आंगनबाड़ी होती है, वहां पहाड़ी क्षेत्र में 700 की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी सेन्टर होता है। इसलिये गांव वालों को आंगनबाड़ी कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने चाहिए ताकि शिशुओं के जन्म लेने, उनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने और स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा का लाभ गांव के शिशुओं को मिल सके। ग्राम पंचायत को चाहिए कि वह ग्रामवासियों के सहयोग से आंगनबाड़ी की सुविधा का लाभ सुनिश्चित करें।

(ग) बालकों में शिक्षा प्रसार कैसा किया जा सकता है :–

नये पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों को स्वतः प्रशासन के लिए व्यापक अधिकार दिये गये है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल यदि नहीं है तो क्या गांव में ऐसा कोई भवन है जो पाठशाला के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अध्यापक समय पर आवें और पाठशाला में जितने विद्यार्थी हैं, उनके अनुपात में वहां अध्यापक हों। यदि अम्यापक नहीं आते तो सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत करनी होगी ताकि इस समस्या का कारगर समाधान हो सके। यह भी देखना होगा कि स्कूल की हालत अच्छी है अर्थात् छत मजबूत है, दीवारें ठीक हैं, क्या स्कूल में पर्याप्त कक्ष हैं और खिड़की दरवाजें ठीक हैं, उसमें विद्यार्थी एवं अध्यापक रूचि लेकर पढ़ एवं पढ़ा रहे हैं।

ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के खेलने के लिए गांव में पर्याप्त मैदान हो और गांव में शिक्षा समिति हो जो कि अम्यापकों के साथ मासिक बैठक करके अध्यापकों द्वारा बताई समस्याओं का समाधान करें और उनके सुझावों को लागू करने में अपना सहयोग करें। यह भी देखें कि गांव में कोई भी छः वर्ष का बच्चा स्कूल में दाखिले से अछूता न रहे। इसको सुनिश्चित करने का दायित्व गांव की शिक्षा समिति पर छोड़ना चाहिए जो ऐसे बच्चों के परिवारों से मिलकर उन्हें संतुष्ट कराया जा सकें। गांव की शिक्षा समिति को यह भी देखना चाहिए कि कोई गरीब बच्चा किताबें या अन्य सुविधा न होने के कारण पढ़ाई न छोड़े इसके साथ–साथ गांव में किसी एक व्यक्ति को यह दायित्व उठाना चाहिये कि बच्चों को खेलों में प्रशिक्षित करें और बच्चों को भी गांव के निरक्षर लोगों को शिक्षित करने में उन्हें प्रयोग करना चाहिये। शिक्षा के प्रसार के लिए पंचायत को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रसाद कराना भारत सरकार का कर्तव्य ही नहीं अपितु बच्चों को यह मूल अधिकार संविधान में भी उपलब्ध है। इसलिये बच्चों को शिक्षा से वंचित रखकर उनके मूल अधिकार का हनन करने में सरकार ही दोषी नहीं है अपितु ग्राम पंचायत भी बराबर की दोषी होगी।

3– बालकों के विकास में महिलाओं का योगदान :–

(क) बालक का विकास मां की गोद से होता है :–

यदि बालक की माता स्वस्थ और खुशहाल होगी तो निश्चय ही वह शिशु के व्यक्तित्व के निखार लाने में सहायक होगी। प्रायः गांवों में महिलाओं को घर के कामकाज के अतिरिक्त उन्हें खेतों में जाकर भी काम करना पड़ता है और बच्चों के लगातार पैदा होने से वह कमजोर होने के परिणामस्वरूप बच्चों की तरफ पर्याप्त समय नहीं दे पाती जब कि पुरुष लोग यह समझते है कि बच्चों की देखरेख का सारा दायित्व केवल महिलाओं का है। प्रायः पुरुष लोग शराब पीकर धन उड़ा देते हैं और महिलाओं को पर्याप्त धन न मिलने से वह घर चलाने में कठिनाई अनुभव करती है। इसके लिए महिलाओं को शराबबन्दी के लिए संगठन बनाना होगा तभी वह अपने बच्चों को इस अभिशाप से दूर रखकर स्वच्छ वातावरण दे सकती हैं। सहेली एवं समारण नामक महिला संस्था इसमें कार्यरत है और इसी प्रकार का संगठन गांव में महिलाएं बनाये तो शिशुओं को स्वस्थ बाल्यकाल उपलब्ध कराने और बालकों को शिक्षा प्रसार करने में बहुत सहायक सिद्व होगी।

(ख) शिशु को स्वस्थपूर्ण बाल्यकाल सुनिश्चित करना :–

प्रत्येक मां को अपने शिशु को कम से कम छः माह तक अपना दूध पिलाना परम आवश्यक है, क्योंकि शिशु के जन्म लेते ही प्रकृति द्वारा उसके पोषण के लिए उसकी मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था होती है। बच्चों को सबसे नाजुक समय अपने पैदा होने के 6–24 माह तक होता है, क्योंकि जो भी बीमारी का हमला शुरू होता है वह बच्चों के आहार में कमी होने से होता है। इसलिए दो वर्ष तक शिशु को मां की देखभाल की बहुत अधिक जरूरत होती है। इसलिए माता और बच्चों को कुपोषण के शिकार होने से बचना चाहिए।

(ग) शिशुपालन में सावधानियां :–

मां का यह कर्तव्य है कि शिशु को स्वस्थ बनाने के लिए 4–6 माह तक उसे दिन में 3–4 बार हल्का पिसा भोजन दिया जाये और इसके साथ हरी सब्जियों और फलों को भी सम्मिलित करना उचित होगा जो भी नमक का प्रयोग किया जाये तो वह आयोडीन नमक ही होना चाहिए। धीरे–धीरे खाद्य पदार्थो की मात्रा में वृद्वि करना चाहिए। यदि शिशु को स्तन का दूध पिलाया जाये या खाद्य पदार्थ का सेवन कराया जाये तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूध को पहले पिलाया जाये। जैसे ही बच्चा रेंगना प्रारम्भ करे तो बच्चे को चेचक का टीका एवं विटामिन ''ए'' का कार्य करना होगा। बच्चे का जन्म होने पर बी0सी0जी0, पोलियो का कोर्स जो कि टी0बी0 और पोलियो की बीमारी से सुरक्षा करता है और जन्म से 6 सप्ताह बाद डी0पी0टी0 का टीका लगाने से डीपथीरिया, काली खांसी इत्यादि से सुरक्षा होती है। नौ माह में खसरा का टीका और पांच वर्ष में डी0पी0टी0 का टीका लगाने से डीपथीरिया और टीटनेश की बीमारी से सुरक्षा होती है। यह सभी सुविधाऐं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है इसलिए इनका लाभ प्रत्येक ग्रामवासी उठा सकता है।

4– बालकों के कल्याण हेतु चलाई जाने वाली मुख्य सरकारी योजनाऐं :–

सरकार द्वारा बालकों के कल्याण के लिये चलाई जाने वाली मुख्य–मुख्य योजनायें इस प्रकार है :

क– बाल उत्तर जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व प्रोग्राम (सी0एस0एस0एम0)

ख– संगठित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0)

ग– कामकाजी और बीमारी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृह, दिवस देखभाल केन्द्र।

घ– राष्ट्रीय शिशुगृह कोष।

ड़– आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों में बुद्वि विकास की प्राद्योगिक परियोजना।

च– राष्ट्रीय बालिका कार्य योजना।

ज– राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार।

(i) बालकों के लिये बाल उत्तर जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम :–

शिशुओं और उनकी माताओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये यह उपरोक्त प्रोग्राम सन् 1992–93 में देश के 21 जिलों में लागू किया गया था। इस प्रोग्राम की देखभाल इमन्युजेशन, डायरिया की बीमारी से सुरक्षा के उपाय विटामिन डी की कमी का निवारण इत्यादि मुख्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से गर्भवती महिलाओं को प्रेरित किया जाता है कि वह अपने गर्भ का समय–समय पर परीक्षण करायें और उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाये। इस योजना के खर्च हेतु भारत सरकार के साथ–साथ विश्व बैंक और यूनीसेफ द्वारा आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रोग्राम के अन्तर्गत दाईयों को गहन ट्रेनिंग देने का अभियान प्रारम्भ किया गया है।

(ii) संगठित बाल विकास योजनाः–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव स्तर पर नवजात शिशु एवं उनको जन्म देने वाली माताओं के स्वास्थ्य व आहार को अच्छा करना और स्कूल जाने के लिये बच्चों को तैयार करने के लिये अपनी आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करना है। इस योजना का केन्द्र बिन्दु निसहाय, साधनहीन एवं निर्धन गांव के बालक एवं उनकी माताएं है। इस योजना को 1975 में प्रारम्भ किया गया था और इसका लाभ केवल छः वर्ष से कम आयु के बच्चों बच्चों और उनकी माताओं तक सीमित रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नवत् सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

जो भी गर्भवती महिलाएं है और शिशुपालन करने वाली महिलाएं हैं और छः वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और यह सभी सामाजिक रूप से पिछड़े गांवों एवं शहरी झोपड़–पट्टी या सड़क पर रहते हैं इन सबके लिए सेवा उपलब्ध कराने की योजना होती है।

(क) पूरक आहार

(ख) प्रतिरक्षण

(ग) स्वास्थ्य परीक्षण

(घ) आरोग्य सेवा

(ड़) छोटी बीमारी का इलाज

(च) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

(छ) पूर्व स्कूल शिक्षा

इस योजना के माध्यम से भारत सरकार का यह उद्देश्य है कि छः वर्ष से कम आयु के बच्चे के आहार पोषण में बढ़ोत्तरी की जाये ताकि उनके स्वास्थ्य में और सुधार आवे जिनसे इन बच्चों का बाल्यकाल से ही शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जा सके। सके कार्य स्वरूप स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी और बीच में स्कूल छोड़ने की संख्या कम होगी। बच्चों के विकास के लए जुड़े सभी निकायों में से एकरूपता और आपसी सहयोग होगा, जिसमें बच्चों का विकास किया जाना सुनिश्चित होगा। नवजात शशुओं की माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने से इन शिशुओं की जन्म से देखभाल अच्छी होगी तो ये बालक निश्चय ही स्वस्थ पाये जायेंगे।

(iii) किशोर बालिकाओं के लिये योजनाएं:–

देश में पहली बार किशोर लड़कियों के लिये यह स्कीम बनाई गई है जिसमें 11–18 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूली लड़कियां जो स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी है उनकी पोषणीय स्वास्थ्य शिक्षा, साक्षरता मनोरंजन और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसके अन्तर्गत इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऐसी किशोर बालिकाएं बेहतर भावी माता बनने के साथ–साथ कुशल साजिक कार्यकर्ता भी बन सके। यह स्कीम विश्व बैंक से आर्थिक रूप से समर्थित है। सभी राज्यों को इस परियोजना को सजग बनाने के लिए एक अनुदेशक और संचालन संबंधी कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गये हैं जो सभी राज्यों को भेजे गये हैं। इसके लिए ब्लाक स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता है।

(iv) प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा :–

यह स्कीम सन् 1982 से चल रही है, जिसको प्रारम्भिक शिक्षा स्कीम के नाम से जाना जाता है। यह स्कीम शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। जिसका उद्देश्य स्कूली पढ़ाई छोड़ देने की दर को कम कराने के साथ–साथ स्कूलों में बच्चों द्वारा पढ़ाई जारी रखने की दर में सुधार लाने का प्रयत्न करना है। इसके अन्तर्गत बच्चों में भाषा, ज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, बौद्विक और व्यक्ति विकास को बढ़ाता है ताकि बच्चे प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश के लिये तैयार हो सकें।

(v) कामकाजी और बीमारी महिलाओं के बच्चें के लिये शिशु गृह/एवं देखभाल :–

राष्ट्र द्वारा 1974 में अपनाये गये बाल नीति के प्राथमिक लक्ष्यों के अनुकरण में यह योजना 1975 में आरम्भ की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः कृषि निर्माण इत्यादि से जुड़े श्रमिकों के पांच वर्ष की आयु के बच्चों के लिये दिवस देखभाल सेवायें प्रदान करना हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाओं के बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो बीमारी के कारण अक्षम है या किसी संक्रामक रोगों से पीड़ित है। यह योजना आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए तैयार की गई है और केवल उन बच्चों को ही इस योजना में सम्मिलित किया जाता है जिनके अभिभावकों की कुल मासिक आय 12,000/–रू0 से अधिक नहीं होती। इसके अन्तर्गत शिशुओं को राशन पूरक पोषाहार, टीकाकरण, साप्ताहिक डाक्टरी जांच इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा तथा भारतीय कल्याण परिषद के द्वारा देश भर में कार्यान्वित की जा रही है।

(vi) राष्ट्रीय शिशु गृह केन्द्र :–

इस कोष को सन् 93–94 में बीस करोड़ की निधि से प्रारम्भ किया गया था। इसके बाद इस कोष में वृद्वि की जाती रही है। इस कोष से पंजीकृत संगठनों और महिला मण्डलों को शिशु गृह खोलने के लिये कमेटी उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम में कुछ मौजूदा आंगनबाड़ियों, सह शिशु केन्द्रों जो अधिकांश राज्य सरकार चलाती है, उनको भी कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(vii) आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों में बुद्वि विकास की प्रायोधिक (सीयर) परियोजना :–

इसके अन्तर्गत आकाशवाणी के माध्यम से प्रयोग के रूप में बच्चों में बुद्वि विकास लायक एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य स्कूल पूर्व आयु के बच्चों का विकास करना है। यह परियोजना 2 अक्टूबर 1992 से अन्य शहरों के केन्द्रों के अतिरिक्त लखनऊ के आकाशवाणी केन्द्र से शुरू की गई थी। यह केन्द्र सभी कार्य दिवसों को आंगनबाड़ी के बच्चों के लिये विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

(viii) राष्ट्रीय बाल कोष :–

इस कोष की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1979 में हुई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे निराश्रित बच्चों के पुनर्वास सहित बच्चों के कल्याण हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर सकें। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अन्तर्गत एक लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, और यह राशि किसी विशेष परियोजना हेतु ही उपलब्ध कराई जाती है जिसका विवरण इस प्रकार है :

(क) स्कूल पूर्व आयु वर्ग के बच्चों के लिए कार्यक्रम

(ख) निराश्रित बच्चों के विकास के लिये कार्यक्रम,

(ग) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों के लिए कार्यक्रम।

(घ) स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके और उपसंगठित क्षेत्रों में लगे बच्चों के लिए कार्यक्रम।

(ड़) बाल देख भाल/विकास क्षेत्र में कम लागत की नवीन परियोजनाएं।

(च) शहरी क्षेत्रों में कामकाजी बच्चों के लिये कल्याण और शैक्षणिक सेवाएं।

(छ) समाज के कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के बच्चों के लिये कौशल आधारित और आयोत्पादक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ix) राष्ट्रीय वीरता पुरुस्कार :–

वीरता और पराक्रम के लिये बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरुस्कार दिये जाने की स्कीम सन् 1957 में प्रारम्भ की गई थी। इसमें प्रत्येक चुने हुए बच्चों को वीरता और पराक्रम के अनुकरणीय साहसिक कार्य के लिये राष्ट्रीय वीरता पुरुस्कार दिया जाता है। यह वीरता पुरुस्कार स्कीम भारतीय कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित की जाती है। यह पुरुस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित विशेष समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा दिये जाते है। महिला और बाल विकास विभाग इस प्रयोजन के लिये भारतीय कल्याण परिषद को वित्तीय सहायता देता है, जिसमें समारोह की 50 प्रतिशत लागत तथा नकद पुरुस्कारों के लिये सम्पूर्ण लागत शामिल है।

(5) सामाजिक कार्यकर्ता गांव को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करा सकता है :–

लोगों की जिसमें भलाई होती है यदि उस ओर लोग प्रभावित हों तो उनके मन को जीतने में बहुत सहायता मिलती है। इसलिये सामाजिक कार्यकर्ता को पहले इस बात को परिचित होना चाहिये कि सम्बन्धित क्षेत्रों में लोगों की किस में सबसे अधिक भलाई हो सकती है। उदाहरणतया सफाई के लिये लोगों को घर में शौचालय बनाने के लिये प्रेरित करना या जहां बाहर खुले में ऐसी गंदगी हो उसके लिये गढ्ढे खुदवाकर गंदगी खत्म करना, माताओं को बच्चों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, स्वच्छ पानी की उपलब्धता के बावत बताना जैसी मुख्य–मुख्य समस्याओं पर अपनी सेवा देकर लोगों के विश्वास को जीता जा सकता हैं गांव की मुख्य एवं गम्भीर

समस्याएं क्या हैं उनका निवारण लोगों की मदद से कैसे किया जा सकता है क्या साधन उपलब्ध है, कितने लोग शिक्षित हैं लोगों की मदद कैसे ली जा सकती है इत्यादि सब पर गम्भीरता से विचार करके कोई ठोस कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार कोई कार्य प्रारम्भ करने से पहले मुख्य समस्याएं अर्थात् स्वास्थ्य, पोषण, आवास और सफाई, शिक्षा भूमि एवं खाद्य के विषय में एक प्रश्न सूची तैयार करनी अधिक प्रभावी हो सकती है। जिसकी रोशनी से गांव के सभी लोगों से जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई ठोस योजना तैयार करके कार्य शुरू किया जा सकता है।

(6) जिला अधिकारियों की सेवाएं कैसे प्रभावी बन सकती हैं :–

आई0सी0डी0एस0 हेल्थ सामाजिक संस्थाएं/एन0जी0ओ0 महिला समाख्या संस्था को मिलाकर उनके कार्य को मानीटर करके शिशुओं, बालकों, गर्भवती महिलाओं को विकास एवं उत्थान में जिला प्लान योजना तैयार की जा सकती है। जिससे सभी भिन्न–भिन्न संस्थाएं इकट्ठा होकर ग्राम का रूप धारण करके अद्वितीय सेवाएं दे सकती है। आई0सी0डी0एस0 के प्रोजेक्ट में कितनी एनम इसमें कार्यरत हैं और कितनी गर्भवती महिलाओं, छः वर्ष से कम बच्चों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके आंकडों का समय–समय पर निरीक्षण करके जो भी सुमार की आवश्यकता हो उसके लिये पर्याप्त उपाय करना लाभकारी एवं प्रभावी सिद्व हो सकता है। आई0सी0डी0एस0 एवं हेल्थ दोनों की संयुक्त कार्य योजना अधिक लाभकारी सिद्व हो सकती है। जिला अधिकारी महिला मंगल दलों, युवा क्लबों एवं पंचायत संस्था को अपना नेतृत्व देकर एक प्रभावी सेवा खड़ी करके सरकारी योजना का लाभ इनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इन संस्थाओं और समूहों से प्रत्येक गर्भवती महिला का ए0एन0सी0 के यहां पंजीकृत कराना और टीके लगवाना, आयोडीन नमक का प्रयोग करना, प्रत्येक बच्चे को टीका लगाना सुनिश्चित करना तथा चार माह तक बच्चे को मां का दूध पिलाने सम्बन्धी बातों को पूरा करने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार जो भी सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनको नेतृत्व उपलब्ध कराकर तथा सरकारी तन्त्र का समय–समय पर निरीक्षण करके की जाये तो कोई कारण नहीं है कि जिन निर्धन, निर्बल, असहाय एवं पिछड़े लोगों में लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार की जो योजनाएं बनती हैं, उनका लाभ इन लोगों तक न पहंचे।

7– बाल मजदूरी समस्या और समाधान :–

(क) वर्तमान अनुपात के अनुसार भारत के कुल मजदूर शक्ति का 10 प्रतिशत से अधिक बाल मजदूरों की है और इनमें से 85 प्रतिशत बाल मजदूर शहरी क्षेत्रों में बाल मजदूरी करने में कार्यरत हैं। इन शहरी बाल मजूदरों में अधिकतर ऐसे बच्चे हैं जो झोपड़ी पट्टी में निवास करते हैं इसके साथ–साथ इन बाल मजूदरों में बराबर वृद्वि होती जा रही है। जहां तक उ0प्र0 राज्य का प्रश्न है कुल मजदूर शक्ति की 15 प्रतिशत के लगभग बाल मजदूर है। बाल श्रमिक पर नियन्त्रण बालकों में शिक्षा के प्रचार में किया जा सकता हैं यदि बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जाये और सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें तो उनके माता–पिता अपने बच्चों से मजदूरी न कराकर उनको शिक्षा उपलब्ध करायेंगे। बच्चों से मजदूरी कराने का माता–पिता का अपना स्वार्थ रहता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि बच्चों को खाना तक नहीं खिला सकते इसलिये उनकी गरीबी पर नियन्त्रण करना होगा जिससे बाल मजदूरी में स्वतः ही कमी आ जायेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर दिनांक 15–8–94 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिये गये भाषण में यह उल्लेख किया था कि हमारे देश में 20 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और वह फैक्ट्रियों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं और उन 2 करोड़ बच्चों में से बीस लाख बच्चे ऐसे है जो खतरनाक धन्धों में कार्यरत हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन बच्चों को बाल मजदूरी से छुटकारा पाने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि बाल मजदूरों के माता–पिता को नौकरी उपलब्ध कराई जाये ताकि वह गरीबी के कारण अपने बच्चों से काम न करवायें और उन्हें स्कूल भेज सकें। यदि माता–पिता की आय में वृद्वि होगी तो वह अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे और उनसे बाल मजदूरी नहीं करवायेंगे।

प्रधानमंत्री जी की इस सार्वजनिक घोषणा के पश्चात् ही भारत सरकार की और से योजना आयोग द्वारा 96–98 वर्ष में 35 करोड़ की धनराशि उपलब्ध इस आशय के साथ कराई गई कि सन् 2000 तक खतरनाक धन्धों में लगे बाल मजदूरी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा परन्तु वह साकार नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा देश की 99 स्वयं संस्थाओं को आर्थिक

सहायता उपलब्ध कराई गई थी जिसमें उ0प्र0 श्रमिक विकास सेवा आश्रम इलाहाबाद भी थी ताकि बाल मजदूरी पर काबू पाया जा सके परन्तु उसमें भी कोई सराहनीय योगदान नहीं मिल पाया।

(ख) बाल श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा बाल श्रमिकों पर किये गये सर्वेक्षण की एक झलक :–

राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान केन्द्र द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 14 वर्ष के 1/3 और शहरी क्षेत्र में 8 प्रतिशत बच्चे बाल श्रम से पीड़ित हैं। ये बच्चे रसायन, खाद्य, अधातु उत्पादों, माचिस, कांच, तम्बाकू आदि उद्योगों से जुड़े हैं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि भारत में बाल श्रमिकों को अत्यन्त कम मजदूरी, खतरनाक मशीनों और अनिश्चित कार्य अवधि की स्थितियों में मालिक सहर्ष काम पर रखते हैं। बाल श्रमिक कानूनों का क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों की उदासीनता बाल श्रमिकों की दुर्दशा का मुख्य कारण है। यह भी पाया गया है कि देश के 5–15 वर्ष आयु वर्ग के कुछ बच्चों में हर चौथा बच्चा बाल श्रमिक है। अनुमानतः देश के बाल श्रमिकों की कुल संख्या 4 करोड़ है तथा इन बच्चों का 5वां हिस्सा शहरों में विभिन्न कामों में लगा हुए बच्चों का है। राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कुल बाल श्रमिकों में लगभग 62 प्रतिशत व्यावसायिक बाल श्रमिक थे, जबकि मध्य और अल्प आयु के बाल श्रमिक 16.7 प्रतिशत है। जहां तक लिंग अनुपात का प्रश्न है, शहर और ग्रमीण क्षेत्रों में बालक दोनों के श्रमिकों और 1198 बाल श्रमिक पर एक हजार पुरुष बाल श्रमिक हैं एवं शहरी क्षेत्र में 1267 बाल श्रमिक पर 100 पुरुष बाल श्रमिक है। इस प्रकार शहरी क्षेत्र में पुरुष बाल श्रमिकों का यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्र से 87 प्रतिशत अधिक हैं सर्वेक्षण से आगे यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी आयु वर्ग के अधिकांश बाल श्रमिकों का क्रमशः 23 प्रतिशत और 26 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं। कुल बाल श्रमिकों का छठा भाग किचन के कामों में और शेष बाल श्रमिक बाजार से खरीदारी, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल के कार्यो में है।

जहां तक कार्य का प्रश्न है सर्वेक्षण में यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के कामकाजी 17 प्रतिशत बच्चे 6–7 घण्टे कार्य करते हैं और शहरों में 7 प्रतिशत बच्चे कामकाजी बच्चे प्रतिदिन 6–7 घण्टे कार्यो में रहते हैं। इन बच्चों के व्यावसायिक स्वरूप के बावत यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाशं बच्चे आकस्मिक कार्यो और कृषि कार्य में लगे हुए हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 46 प्रतिशत बाल श्रमिकों में 30 प्रतिशत बच्चे कृषि कार्यो में हैं और 8 प्रतिशत बाल श्रमिक परिवारिक व्यवसायों में हैं।

सम्पूर्ण भारत वर्ष के उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र से अलग–अलग किये गये सर्वेक्षण में राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान केन्द्र ने पाया कि उत्तरी भारत के सात राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा चंढीगढ़ का केन्द्र शासित क्षेत्र के कुल 240 लाख परिवारों में 102 लाख बाल श्रमिक के कुल परिवारों में हर छठा परिवार शहरी क्षेत्र में हैं। जहां तक इनकी पारिवारिक आय का प्रश्न है, उत्तरी क्षेत्र के बाल श्रमिकों के कुल परिवारों में 2/3 परिवार निम्न आय वर्ग से सम्बन्धित है, जबकि शहरी क्षेत्र कुल परिवारों में 1/2 परिवार निम्न आय वर्ग के है। अनुमानतः उत्तरी क्षेत्र में कुल 12.6 लाख बाल श्रमिक है जिनमें 83.1 प्रतिशत बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 16.9 प्रतिशत बाल श्रमिक शहरों में हैं, इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में बाल श्रमिकों के अनुमानतः संख्या 8.91 लाख है। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गुजरात, मम्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा तथा केन्द्र शासित प्रदेश दमनदीव आता हैं, उनमे बाल श्रमिकों की अनुमानतः संख्या 10.84 लाख है। जिनमें 1/5 शहरी क्षेत्रों में है, शेष ग्रमीण क्षेत्रों में है। इसी प्रकार दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केन्द्र शासित प्रदेश पाण्डिचेरी में कुल अनुमानतः बाल श्रमिकों की संख्या 11.4 लाख है, जिनमें 1/4 शहर में और शेष ग्रामीण क्षेत्र में है। जहां तक बाल श्रमिकों के परिवार का प्रश्न है चारों क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में कुल 240 लाख परिवारों में हर छठा परिवार शहरी क्षेत्र में है जबकि पूर्वी क्षेत्र में श्रमिक परिवारों की कुल अनुमानित संख्या 25 लाख है जिनमें बाल श्रमिकों के परिवार की अनुमानित संख्या 7.92 लाख है जो कि कुल क्षेत्र का 84 प्रतिशत क्षेत्र ग्रमीण और शहरी है एवं पश्चिमी क्षेत्र में बाल श्रमिकों के परिवार की अनुमानित संख्या 24.2 लाख है जिनमें 8.62 लाख परिवारों में बाल श्रमिक है और इसका 26.2 लाख है जिनमें 8.62 लाख परिवारों में बाल श्रमिक है और इसका 26.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में और शेष परिवार ग्रामीण क्षेत्र में है। जहां तक दक्षिणी क्षेत्र का प्रश्न है उनमें अनुमानतः 29.1 लाख परिवारों में बाल श्रमिकों के 8.8 लाख परिवार है। इन आंकडों से यह स्पष्ट विदित होगा कि बाल श्रमिकों की स्थिति कितनी दयनीय एवं गम्भीर है उसके ऊपर अंतराष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की गयी है और यहां तक कि बात श्रमिकों द्वारा बनाये गये सामानों का बहिष्कार किया गया ताकि बाल श्रमिकों से काम लेने वाले लोग कुछ सबक ले सकें और अपने दायित्व को समझते हुए बाल श्रमिकों से काम न लें, ताकि इन भारतीय

बालकों का बहुमूल्य बचपन उनकी शिक्षा स्वास्थ्य और भविष्य निर्माण में लगकर वे सुदृढ़ नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान केन्द्र द्वारा किये गये अखिल भारतीय सर्वेक्षण में जो मुख्य सुझाव दर्शाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :–

1– आयु और लिंग के अनुसार बच्चे के श्रम साध्य कार्यो पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

2– बाल श्रम कानूनों को बच्चों के कल्याण के लिए सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

3– बाल श्रमिकों के परिवार के कल्याण के लिये बाल श्रमिकों की बढ़ती दुर्घटनाओं की रोक–थाम करनी चाहिये।

4– बाल श्रमिकों को ऐसा कार्य दिया जाना चाहिए जिस कार्य में उनके श्रम का आंकलन किया जा सके।

5– बाल श्रमिकों को जोखिम के कार्य नहीं दिये जाने चाहिए और उनका बीमा किया जाना चाहिए।

6– बाल श्रम के उन्मूलन के लिए पहले एक संक्षिप्त कार्य योजना की आवश्यकता है फिर पारम्परिक भारतीय समाज में बच्चों के विकास की एक सुस्पष्ट वैचारिक कार्य योजना का कार्यान्वयन आवश्यक है।

7– बच्चों को कल का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उनकी हर संभव सहायता की जानी चाहिए।

8– ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करें।

9– बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए माता–पिता तथा सरकार को उनके मार्ग दर्शन की व्यवस्था करनी चाहिए।

10– बच्चों के लिए बाल श्रमिक आवास गृह उपलब्ध होने चाहिए जहां उन्हें सर्वागीण विकास के अवसर मिलें।

11– बाल श्रमिक के कल्याण के सभी कार्यक्रम विशेषज्ञता और तकनीकी कुशलता के साथ क्रियान्वित किये जाने चाहिए।

(ग) फुटपाथी बालकों की महानगरों में स्थिति :–

बालक देश के धरोहर होते हैं यदि समाज उनके प्रति न्याय एवं सुरक्षा की भावना नहीं रखता तो निश्चय ही जब वे बालक आगे चलकर व्यस्क होंगे तो उनसे एक जिम्मेवार नागरिक की आशा करना कहां तक उचित होगा। भारत के बड़े–बड़े शहरों में प्रायः देखने मे आता है कि छोटे–छोटे बच्चे कूड़ा उठाते, बूट पालिस करते, छोटे–मोटी दुकानों में काम करते तथा घरों में काम करते हुए मिलते हैं। इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य नगरों बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद एवं कानपुर में राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान द्वारा सर्वेक्षण किया गया ताकि इन फुटपाथी बच्चों की समस्याओं से अवगत होते हुए इनके निवारण कि लिये ठोस कदम उठाये जा सकें। वैसे तो फुटपाथी बच्चों की समस्या कोई नई समस्या नहीं है परन्तु भारत वर्ष में इस समस्या की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि विदेशों में इसे गम्भीर समस्या मानते हुए कई कठोर कदम भी उठाये गये और कई समाजसेवी संस्थायें इन फुटपाथी बच्चों की समस्याओं के निवारण में अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। भारतवर्ष में भी समाज सेवी संस्थाओं ने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया, जिनमें एक उल्लेखनीय संस्था ''डाक वास्को'' के नाम से प्रसिद्व है जो इन फुटपाथी बच्चों के सुधार के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान द्वारा भारत के मुख्य सात नगरों में जो फुटपाथी बच्चों के बावत सर्वेक्षण किया गया उसका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :–

इस संस्था की मान्यतानुसार फुटपाथी बच्चे जो कि मुख्यतः शहरों की देन है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जायेगी क्योंकि यह अनुमान है कि इस शताब्दी के अन्त में भारत की कुल संख्या का 1/3 भाग शहरों में वास करने लगेगा। जबकि 1981 की मतगणना के अनुसार 160 मिलियन अर्थात् जनसंख्या का 23 प्रतिशत भाग इन शहरी क्षेत्रों में रहता था और जो 12 महानगरीय शहर हैं जिनमें 10 लाख अर्थात् एक मिलियन से अधिक लोग वास करते हैं जिनमें कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, बंगलौर एवं पूना के शहर है।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा हैदराबाद के फुटपाथी बालकों के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण से यह पाया गया कि सन् 1962 में कुल गंदी बस्तियों की संख्या 106 थी जो कि सन् 1972 में बढ़कर 284 हो गयी सन् 1981 में यह 470 थी जो कि 1988 में बढ़कर 660 हो गई इस तरह यह बढ़ोत्तरी बड़ी तेज रफ्तार से हो रही है। सन् 1962 में हैदराबाद की जनसंख्या मात्र एक लाख थी जो कि सन् 1972 में 3 लाख सन् 1981 में पॉच लाख और 1988 में नौ लाख हो गयी और इसकी मात्रा 900 प्रतिशत हुई यदि इस जनसंख्या में स्लम जनसंख्या को देखा जाय तो वह सन् 1962 में कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत था जो कि 1972 में 19 प्रतिशत हुआ और 1981 में 22 प्रतिशत तथा सन् 1988 में कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत जनसंख्या का है। जहां तक फुटपाथी बालकों का प्रश्न है वह इन झुग्गी झोपड़ी जनसंख्या का लगभग 30,000 अनुमानित किया गया है यदि संसार के फुटपाथी बालकों पर प्रकाश डाला जाय तो यूनिसेफ के अनुसार यह लगभग 80 मिलियन है और एण्डी स्लमरी सोसाइटी यू0एम0 ने इनकी संख्या 31 मिलियन बतायी है इसमें भारत का बहुत बड़ा हिस्सा आता है भारत के शहरों में 30,000 फुटपाथी बच्चों में 60 प्रतिशत लड़के और बाकि लड़कियां है स्ट्रीट चिल्ड्रन के मुख्य कारण हैं :

1— शहरीकरण का सीधा प्रभाव

2— ग्रामीण गरीबी

3— प्राकृतिक आपदा

4— ग्रामीण खेती में नए यंत्रों के प्रयोग से बेरोजगारी

5— शहर में बसने की लालसा

6— गांवों में जातिवाद के कारण पलायन

हैदराबाद की जनसंख्या का 30 प्रतिशत घनी गंदी बस्ती जनसंख्या है जिसमें शहरी जनसंख्या मात्र 22 प्रतिशत है और बाकि जनसंख्या गांवों में आई है बंगलौर शहर में फुटपाथी बालकों के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण एंव अध्ययन के अनुसार यह पाया गया कि वहां लगभग 45 हजार बच्चे फुटपाथी बालक है, जिनमें 25 हजार बच्चे बेघर हैं इसके बावत यह निष्कर्ष दिया गया कि इन बच्चों की मात्रा में बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है। क्योंकि गांवों में गरीबी के कारण जो अधिकतर जनसंख्या शहरों में पलायन करती है उनके कारण ही इन फुटपाथी बालकों की संख्या में बराबर वृद्वि हो रही है। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बंगलौर शहर में औसतन 12 बच्चे हर रोज गाड़ी या बस से आ रहे हैं और उनके सर पर छत न होने के कारण ये बच्चे रेलवे स्टेशनों बस अड्डों या अन्य काम करने वाले स्थानों पर ही सर छुपाने के लिये रहते हैं एवं बाद में फुटपाथी बच्चों के स्थान में सम्मिलित हो जाते हैं और इनका शोषण शुरू हो जाता हैं दिल्ली में फुटपाथी बच्चों के बावत किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया कि लगभग 4 लाख मजदूरी करते हैं जो कि दिल्ली शहर की कुल बाल जनसंख्या का 18 प्रतिशत है जिसमें 30 हजार बच्चे चाय की दुकानों, ढाबों आदि में कार्य करते है तथा 20 हजार बच्चे स्कूटर, कारों की मरम्मत की दुकानों में काम करते हैं और लगभग 30 हजार बच्चे दुकानों में सहायक के रूप में मजदूरी करते हैं और 40 हजार बच्चे मरम्मत, कुली इत्यादि का कार्य करते हैं तथा लगभग 1 लाख बच्चे घरों में बर्तन तथा उनके घरेलू कामों में मजदूरी करते हैं। सन् 1981 में हुए मतगणना के अनुसार दिल्ली के बाल मजदूरों की संख्या केवल 26 हजार थी और अब हुए उपरोक्त सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या बढ़कर 4 लाख हो गई जो स्वतः यह संकेत करता है कि बाल मजदूर महानगरों में कितना उग्र रूप धारण कर चुके हैं जिसका निवारण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता हैं। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दिल्ली शहर में 1961 में ऐसे लोगों की जनसंख्या जो कि बेघर थे मात्र 6586 थी जो कि 20 साल बाद सन् 1981 में बढ़कर 16870 हो गयी थी और ये सब वे लोग हैं जो सर पर छत नहीं होने के कारण फुटपाथ पर ही जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए यदि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाय तो उससे भी बाल श्रमिक समस्या पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी। जहां तक कलकत्ता महानगर तथा इसी प्रकार मद्रास महानगर में फुटपाथी बच्चों के बावत किये गये अध्ययन में यह पाया गया कि वहां पर फुटपाथी बच्चों की संख्या लगभग 25 हजार है।

यदि इस प्रकार दुनिया के नक्शे पर नजर डाली जाय तो यह विदित होगा कि केवल भारत के महानगरों तक यह समस्या सीमित नहीं है बल्कि संसार के अन्य देशों में भी यह बुराई व्याप्त है और अनुमान है कि संसार के फुटपाथी बच्चों की संख्या लगभग है। इसी प्रकार जो फुटपाथी बच्चे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं जिनके स्लम पर झुग्गी—झोपड़ियों में उनके परिवार है जहां

जाकर वे रात को आराम करते हैं और इनमें कई फुटपाथी बच्चे ऐसे भी हैं जो सड़क में रहकर ही अपनी रात बिता देते हैं, उनकी छत नहीं है वे अपना पूरा बचपन और जवानी सड़क में रहकर व्यतीत करके अपना जीवन यापन करते हैं। भारत के अन्य बाल मजदूरों की तरह फुटपाथी बच्चों का शोषण भी एक गम्भीर समस्या है क्योंकि इन फुटपाथी बच्चों में से ही बाल अपराधी बच्चे बनते हैं, जो कि अपराध जगत में पर्दापण करके सामाजिक बुराईयों को बढ़ाते हैं। इसलिये फुटपाथी बच्चों की सुरक्षा एवं निर्माण की उतनी आवश्यकता है, जितनी कि अन्य भारतीय बाल मजदूरों की तरफ सुरक्षा एवं आर्थिक सुविधा उपलब्ध करना है और भी जरूरी हो जाता है।

(घ) बाल मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए मुख्य सुझाव :–

1– बाल मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि हर बालक के माता–पिता समाज एवं देश के नाते बालकों के प्रति अपने दायित्व समझ सके। इसमें मजदूर संगठन, कानून बनाने वाले प्रशासकों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं एवं आम जनता को मिलकर बच्चों के प्रति अन्याय को खत्म करने के लिये जागरूकता रूपी अभियान शुरू करना होगा ताकि समाज का कोई भी वयस्क व्यक्ति बालकों के प्रति किये गये शोषण एवं अन्याय से जागरूक होकर इसके निवारण में अपना हाथ बंटा सकें। इसमें सबसे मुख्य बात बच्चों के माता–पिता को प्रेरित करना होगा ताकि वे बच्चों से मजदूरी न कराकर उन्हें स्कूल भेजने में आगे आ सकें। इसके लिए ऐसे बाल मजदूरों के माता–पिताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू करने होंगे ताकि बाल मजदूर बालकों के माता–पिता के रास्ते में गरीबी की समस्या उत्पन्न न करने पाये।

2– ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर, तहसील स्तर एवं जिला स्तर के प्रशासकों, शिक्षा संस्थाओं एवं श्रमिक संघों के माध्यम से बाल मजदूरी जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने का प्रयास करना होगा इसके लिये वीडियो फिल्म, पुस्तकों एवं अन्य संचार माध्यमों का भी प्रयोग करना होगा और जहां पर बाल मजदूरी अधिक व्यापक है वहां पर नुक्कड़ सभाओं, सरकारी रैली, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं एवं अन्य माध्यमों से बाल मजदूरी को खत्म करने के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होगा शहर के हर इलाके में बैनरों के माध्यम से बाल मजदूरी की बुराई को फोक्स करते हुए आम जनता में जागरूकता पैदा करनी होगी।

3– बाल मजदूरी खत्म करने में लगी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिस सामाजिक संस्था या शिक्षा संस्था ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए अद्वितीय योगदान दिया है उसको पुरस्कारित करके बाल मजदूरी खत्म करने के प्रति जागरूकता लाने में सहयोग होगा।

4– जो बाल मजदूर खतरनाक धंधों में लगे हुए हैं, जहां प्रदूषित वातावरण में लम्बे समय तक कार्य करके बच्चों का मानसिक तनाव बढ़ता है एवं शारीरिक विकास रूक जाता है और सभी कठिन परिस्थितियों में बाल श्रमिकों से काम लेने वाले व्यक्ति को कानूनी रूप से दण्ड दिलाने के लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा और बच्चों को शिक्षा प्राप्ति करना अनिवार्य बनाया जावे तथा ऐसे बच्चों को शिक्षा सामग्री एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावे ताकि उन्हें उचित वातावरण मिल सके तथा बिना किसी रूकावट के शिक्षा ग्रहण करने के प्रति आकर्षित हो सकें।

5– जो भी बाल मजदूरी रोकने के कानून बने हैं उनका सख्ती से पालन किया जाय और कानून जो बने हुए हैं उनकी कमियों को दूर किया जाय जो भी खतरनाक धंधे हैं जिनमें बालक मजदूरी कार्य करता है वहां पर बाल मजदूरों के कार्य लिये जाने में प्रतिबंध लगाया जाय।

6– जो भी कानून बनाये गये हैं उससे निश्चय ही बाल मजदूरों की समस्या हल होना संभव नहीं है क्योंकि जो भी भारत के मजदूर हैं उनकी 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत संख्या अनियंत्रित है अर्थात् इन मजदूरों को कानूनी लाभ एवं सुरक्षा देने हेतु विधिवत विनियमित नहीं किये गये हैं तथा जरूरत इस बात की है कि जो धंधे जोखिमपूर्ण है उनको कानून के घेरे में लाया जाये और जो जोखिम भरे धंमे नहीं हैं जिनमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको नियमित किया जाय।

7– बाल मजदूरी का निवारण निश्चय ही सरकारी नीतियों कानूनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि सरकारी नीतियों का लाभ बाल श्रमिकों तक नहीं पहुॅचता है क्योंकि इसमें कई अड़चनें होती हैं जिनकों दूर करना बहुत जरूरी है और इस प्रकार जो कानून बनाये गये हैं उनको लागू करने के लिए

जो मशीनरी उपलब्ध है उसमें चुस्ती और ईमानदारी लाने की जरूरत है इन दोनों को सुचारू रूप से चलाने के लिये सामाजिक संस्थायें बहुत लाभप्रद हो सकती है। यह भी उल्लेखनीय हे कि हमारे देश में जो 12 हजार के लगभग मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थायें है उनमें से भले ही 2500 सामाजिक संस्थाओं को फर्जी बताते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है फिर भी सरकार के पास अभी तक 8500 सामाजिक संस्थायें कार्यरत हैं जिनकी सेवायें बाल मजदूरी को कम करने के लिए सरकारी योजना एवं कानून के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है यह भी उल्लेखनीय है कि बाल मजदूरी समाप्त कराने में 126 सामाजिक संस्थायें सलिय रूप से योगदान दे भी रही है। बाकि अन्य संस्थाओं को इसके लिये प्रेरित किया जा सकता है।

8— प्रशासन स्तर पर प्रत्येक जिला अधिकारी को चाहिये कि वह अपने हल्कों में बाल मजदूरों की समस्या की गम्भीरता को जानने हेतु वहां पर सर्वे करायें और जब समस्या की जानकारी हो जाये तो उससे निपटने के लिये स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं एवं अन्य माध्यमों को लाभ प्राप्त करने के लिये कार्य योजना बनायें और उसको लागू कराते हुए समय–समय पर कमेटी के माध्यम से उसको मोनिटेरिंग करें एवं उसको सख्ती से लागू करायें।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .....

.. विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला

पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड़स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल